कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 188/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

➡️ किशोरी के साथ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ सरायमीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किये जाने के प्रकरण में सरायमीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 15.05.2026 को वादी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.05.2026 की रात्रि उसकी बहन घर के बाहर गयी थी, जहां पूर्व परिचित सागर पुत्र रामनारायण निवासी पुरब पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ उसे बहला-फुसलाकर रितेश उर्फ बब्बी पुत्र रमेश निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के घर ले गया, जहां दोनों अभियुक्तों द्वारा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पीड़िता किसी प्रकार वहां से निकलकर अपने घर पहुँची तथा परिजनों को घटना की जानकारी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 137(2)/70(2) बीएनएस व 5G/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे मय पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना, पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त 1. सागर पुत्र रामनारायण निवासी पुरब पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ तथा 2. रितेश उर्फ बब्बी पुत्र रमेश निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 15.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में डायल-112 इवेंट नं0 P15052601729 के माध्यम से पीआरवी-6215 पर नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर थाना सरायमीर पर दाखिल कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सागर पुत्र रामनारायण निवासी पुरब पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।
2. रितेश उर्फ बब्बी पुत्र रमेश निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 120/2026 धारा 137(2)/70(2) बीएनएस व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 भुवनेश कुमार चौबे, थाना सरायमीर।
2. का0 विनोद प्रताप।
3. का0 विवेक गिरी।
4. रि0का0 संदीप जायसवाल।
5. म0रि0का0 प्रियंका प्रजापति थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
6. हे0का0 कर्ण कुमार यादव, का0 राहुल कन्नौजिया, पीआरवी-6215।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

➡️ साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति की ₹9,691 धनराशि साइबर हेल्प डेस्क द्वारा करायी गयी वापस

➡️ पत्तल-दोना व्यवसाय के नाम पर साइबर ठगी करने वाले फ्रॉडेस्टर के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही

थाना सरायमीर क्षेत्र निवासी आवेदक मुदब्बिर पुत्र जुल्करनैन निवासी बीनापारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा एनसीआरपी पोर्टल 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या- 33102260043758 दर्ज करायी गयी कि अज्ञात फ्रॉडेस्टर द्वारा पत्तल-दोना व्यवसाय में लाभ का लालच देकर उनसे कुल ₹9,750 की साइबर ठगी कर ली गयी।

उक्त शिकायत प्राप्त होने पर थाना सरायमीर पर नियुक्त साइबर हेल्प डेस्क अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक को तत्काल मेल प्रेषित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप फ्रॉड की गयी धनराशि में से ₹9,691 होल्ड कराया गया। तत्पश्चात आवेदक को मा0 न्यायालय से कोर्ट ऑर्डर प्राप्त करने हेतु अवगत कराया गया। आवेदक द्वारा न्यायालय आदेश प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पुनः सम्बन्धित बैंक से समन्वय स्थापित कर दिनांक 14.05.2026 को आवेदक के खाते में ₹9,691 की धनराशि वापस करायी गयी।

साइबर हेल्प डेस्क टीम -

1. उ0नि0 नीरज गौड़, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. महिला आरक्षी ममता सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 सोनू कुमार गुप्ता, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. का0 इन्द्रजीत यादव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 15.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम की 317 टैबलेट रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (11 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम की 317 टेबलेट रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (11 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 06.11.2008 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री श्री अनिल मणि त्रिपाठी थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त संदीप तिवारी पुत्र राजदेव तिवारी निवासी हैषतपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम की 317 टेबलेट बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 1272/2008 धारा-8/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 15.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त संदीप तिवारी पुत्र राजदेव तिवारी निवासी हैषतपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि अवधि (11 दिवस) के कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 15.05.26 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध चाकू रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि (1 माह 10 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध चाकू रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (1 माह 10 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 19.06.1999 को वादी मुकदमा आरक्षी जितेन्द्र यादव थाना निजामाहबाद जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त दलसिंगार पुत्र मुन्नन निवासी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद अबैध चाकू बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-156/1999 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 15.05.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दलसिंगार पुत्र मुन्नन निवासी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि (1 माह 10 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।